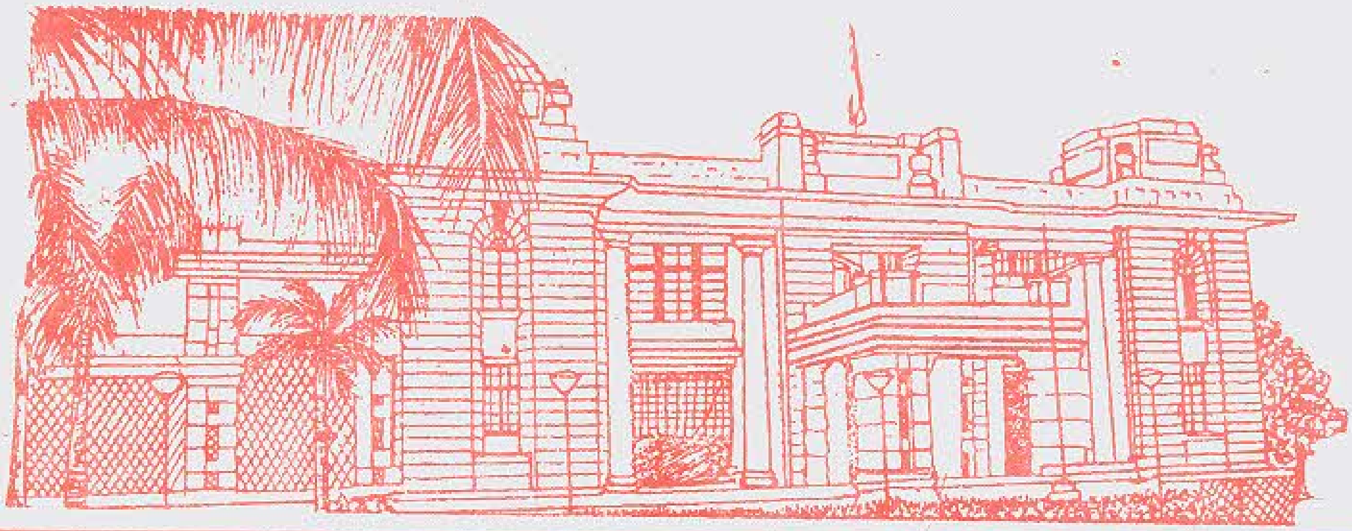

बिहार विधान परिषद — कार्य सूची

संख्या-4 190वां सत्र

वृहस्पतिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2018
12.00 बजे मध्याह्न

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।
5. प्रभारी मंत्री, बिहार विधान परिषद् के 184वें एवं 186वें सत्र से लंबित प्रश्नोत्तरों की सूची की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

परिनियत कार्य

6. प्रभारी मंत्री, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन **"राज्य का वित्त"** एवं **"राजस्व प्रक्षेत्र"** की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

ध्यानाकर्षण

7. श्री संजीव श्याम सिंह, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की तैयारी हेतु बिहार राज्य के आवेदकों की नागरिकता प्रमाणित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
8. श्री संजय पासवान, मूलभूत सुविधा के अभाव में सरकारी बसों का परिचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

9. श्री कृष्ण कुमार सिंह, राज्य में गाड़ियों का निबंधन शुल्क पड़ोसी राज्यों के अनुरूप करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

10. श्री मनोज यादव, स्वयं एवं अपने परिवार की सुरक्षा हेतु एक चार का बल प्रतिनियुक्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

11. श्री तनवीर अख्तर, राज्य परिषद् के सदस्य एवं शिवहर जद(यू) के महासचिव श्री नरेन्द्र पटेल, पिता-श्री महेश पटेल, वार्ड नं०-5, शिवहर की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

12. श्री सुबोध कुमार, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर प्रमंडल में योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

13. श्री सतीश कुमार, पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत पहाड़पुर प्रखंड के पूर्वी सिसवा पंचायत के वार्ड नं०-9, केन्द्र संख्या-155 पर चयनित सेविका के चयन को रद्द करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

14. श्री सुमन कुमार, मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड में बिहुल नदी पर सखुआ गाँव के पास स्लूईस गेट का निर्माण करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

15. श्री दिलीप कुमार चौधरी, राज्य के तैयार अस्पताल भवनों को सुसज्जित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

16. श्री दिलीप राय, बाल विकास परियोजना कार्यालय परसौनी, जिला-सीतामढ़ी को निजी मकान से स्थानान्तरित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

17. श्री नीरज कुमार, मुख्यमंत्री फसल बीमा सहायता योजना के तहत् नगर परिषद् एवं नगर पंचायत किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने एवं उसका लाभ देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

राजकीय विधेयक

औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018

18. श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथा पारित औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।

19. श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथा पारित औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 पारित हो।

20. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।

28.11.18

(सुनील कुमार पंवार)
सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.-73/2018 – 1770 (3) वि.प. दिनांक- 28.11.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार/माननीय मंत्रीगण, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के आवास/मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में)/महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवास एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेश्म / लोकायुक्त, बिहार / महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव / लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार / अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना /सचिव, बिहार विधान सभा/ श्री सैयद सआदत नजीर, सहायक प्रोग्रामर, बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/11/18

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्